

**DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES****B- Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002****Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513, Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in****SCHOLARSHIP/MERIT SCHOLARSHIP TO SC/ST/OBC/MINORITIES  
STUDENTS STUDYING IN CLASS I TO XII (2015-16)****Closing Date : 20.09.2015****ATTENTION: SC/ ST/ OBC/ MIN.STUDENTS OF CLASS I TO XII OF ALL GOVERNMENT/ AIDED/ RECOGNIZED PUBLIC SCHOOL AFFILIATED TO DIRECTORATE OF EDUCATION/ KENDRIYA VIDYALAYA/ NATIONAL OPEN SCHOOL/ SCHOOLS AFFILIATED TO MCD/ DELHI CANTONMENT BOARD.**

Application are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing financial assistance to the students to pursue their studies.

**1.CONDITION FOR SCHOLARSHIP**

- (a) The Scholarship will be given to the students pursuing studies (Class 1st to 12th for SC/ST/MIN. and class 6th to 12th for OBC students) from Government/Govt. Aided/Recognized/Local bodies i.e. MCD/NDMC and DCB, Kendriya Vidyalaya and recognized public schools.
- (b) To be eligible, no percentage of marks required for SC/ST/MIN. students (Class 1st to 8th). For OBC students class 6th to 12th and for SC/ST/MIN. students of class 9th to 12th minimum 55% of marks is required in previous class.
- (c) Family income limit is not applicable in case of SC/ST students but family income should not exceed form Rs. 2.00 lac per annum in case of OBC/MIN. in case of OBC/MIN. students self declaration of family income in the prescribed format is required.
- (d) 1. Self attested copy of Caste Certificate issued in the Name of Student/Father (in respect of sc/ST/OBC) & affidavit (in non-Judicial stamp paper of Rs. 10/- with 5/- Rs. Revenue stamp) (in respect of Minority students) by parent/guardian declaring his son/daughter belongs to particular Minority Community.
2. Self attested copy of EPIC Card/Adhar Number, Ration card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized banks.
- (e) A students is allowed to avail the scholarship either under the State plan scheme or Centrally sponsored scholarship Scheme which ever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of institutions by mode of declaration.
- (f) The bank account should be in the name of the students (joint bank account with parent/guardian is also permissible).

**2.RATE OF SCHOLARSHIP**

S. NO.	CATEGORY	CLASSES	% OF MARKS IN PREVIOUS CLASSES	SCHOLARSHIP AMOUNT (In Rs.)
1.	SC/ST/OBC	I to VIII	No percentage of Marks is required	Rs. 1000/- P.A
2.	OBC	VI to VIII	55% and above but below 60 %	Rs. 600/-
			60% and above	Rs. 720/-
3	SC/ST/OBC/MIN	IX to X	55% and above but below 60 %	Rs. 1620/-
			60% and above	Rs. 2040/-
4.	SC/ST/OBC/MIN	XI to XII	55% and above but below 70 %	Rs. 3000/-
			Above 70%	Rs. 4500/-

**3. How to apply**

- (a) The application form can be downloaded from the website of the Department i.e [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in).
- (b) Eligible students studying in schools affiliated to south Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/ Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer at 15th floor, Civic Centre, Minto Road, New DELHI.
- (c) Eligible students studying in schools affiliated to North Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer at 15th floor, Civic Centre, Minto Road, New delhi.
- (d) Eligible students studying in schools affiliated to East Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy of concerned officer at 419, Udyog Sadan, Patparganj institutional Area. New Delhi-91.
- (e) Eligible students studying in schools affiliated to NDMC may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy to Dy. Education Officer (General), Deptt. of Education, Palika Kendra, Sansad Marg, new delhi who is the Nodal officer in the matter.
- (f) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Dte. Of Education may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy to Dy. Director (Planning), old patrachar Building Timarpur, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.
- (g) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Delhi cantonment Board may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the office of Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment Delhi-110010.
- (h) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed performa as well as soft copy in the office of Assistant commissioner of Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus new delhi who is the nodal officer in the matter.
- (i) Eligible students studying in Recognized Public schools, national Open Schools and other schools approved by Government but not falling under any of the category above may submit their forms to head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed performa as well as soft copy along with the complete application forms along with relevant documents to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN ), Dept. for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN , B-block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P.Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by 20.09.2015.

Note:- The schools mentioned above at (b) to (f) will keep the application of the students and other supporting documents such as self attested copy of caste Certificate ,previous class marks sheet (where ever applicable), self declaration, affidavit etc. may be retained by Head of school for their record which may be checked by this Department any time.

**4.OTHER CONDITION**

Individual applications shall not be entertained. Head of school must ensure that no eligible SC/ST/OBC/MIN students is left out and consolidated list of students in the prescribed performa should be sent to concerned office indicated above. The Nodal officer of the concerned department/organization should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed performa which may be downloaded from the website of department) to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN), B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P.Estate, New Delhi-110002 on or before the closing date . Application/Proposals received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter the name of scheme should be clearly indicated.

Format of Application Form, consolidated statement (to be filled by Head of School, concerned), self Declaration of family income (for OBCs and Minority)and Electronic Clearing Service performa in respect of students may be downloaded from the Departments website. [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in).

For further details and application form please log on the website: [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in).

**\*Applicant and form attesting authority/school authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.**

**Principal secretary****(Department for The welfare of SC/ST/OBC/MIN.)**

# अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोन: 23379511-12 फैक्स: 23379513 वेबसाइट: [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) ई-मेल: [ddscstdel@hub.nic.in](mailto:ddscstdel@hub.nic.in)

## कक्षा 1 से 12 (2015-16) में अध्ययनरत अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति

समापन तिथि : 20.09.2015

ध्यान दें : सभी सरकारी/ सहायता प्राप्त/ शिक्षा निदेशालय के साथ संबद्ध मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों/ केन्द्रीय विद्यालय/ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/ दिल्ली नगर निगम/ दिल्ली कौंटोनमेंट बोर्ड के साथ संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अ. पि. वर्ग/ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र

पात्र छात्रों को उनका अध्ययन जारी रखने में सक्षम बनाने हेतु योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनसे (नीचे दिए गए मानदण्डों के अनुसार) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

### 1. छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

क) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/स्थानीय निकायों अर्थात एमसीडी/एनडीएमसी और डीसीबी, केंद्रीय विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त / स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों (अनु. जाति/ अनु. जन जाति/ अल्प संख्यकों के लिए कक्षा 1 से 12 तथा अ. पि. वर्ग के लिए कक्षा 6 से 12) को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ख) अनु. जाति/ अनु. जन जाति / अल्प संख्यक छात्रों (कक्षा 1 से 8) के लिए पात्रता हेतु अंकों के किसी प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है। अ. पि. वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक तथा अनु. जाति / अनु. जन जाति / अल्प संख्यक छात्रों के लिए कक्षा 9 से 12 तक पिछली कक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है।

ग) पारिवारिक आय सीमा अनु. जाति / अनु. जन जाति छात्रों के मामले में लागू नहीं है, किंतु अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक छात्रों के मामले में पारिवारिक आय 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अ. पि. वर्ग / अल्प संख्यक छात्रों के मामले में पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा निर्दिष्ट फॉर्मेट में आवश्यक है।

घ) 1. अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में उसके माता पिता / अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र पर (10 ₹ मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में 5 ₹ के रेवन्यू स्टैम्प के साथ) 2. एपिक कार्ड / आधार नंबर, राशन कार्ड, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली के एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र या राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक की प्रति स्वयं सत्यापित होनी चाहिए।

ङ) एक छात्र को राज्य योजना स्कीम या केंद्रीय रूप से प्रायोजित छात्रवृत्ति स्कीम के तहत छात्रवृत्ति पाने की अनुमति होगी, इनमें से जो उसके लिए लाभकारी है तथा उस घोषणा की विधि द्वारा संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से प्रदान करने वाले प्राधिकरण को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

च) छात्र के नाम पर बैंक खाता (माता पिता / अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते की अनुमति भी है) होना चाहिए।

### 2. छात्रवृत्ति की दर :

क्र.सं.	श्रेणी	कक्षा	पिछली कक्षाओं में अंकों का प्रतिशत	छात्रवृत्ति की राशि (₹ में)
1.	अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग	I से VIII	अंकों के प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है	₹ 1000 प्रति वर्ष
2.	अ. पि. वर्ग	VI से VIII	55 प्रतिशत या अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम	₹ 600
			60 प्रतिशत या अधिक	₹ 720
3.	अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक	IX से X	55 प्रतिशत या अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम	₹ 1620
			60 प्रतिशत या अधिक	₹ 2040
4.	अनु. जाति/ अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग/ अल्पसंख्यक	XI से XII	55 प्रतिशत या अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम	₹ 3000
			70 प्रतिशत से अधिक	₹ 4500

### 3. आवेदन कैसे करें

(क) आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी, 15वां तल, सिविक सेंटर मिंटो रोड, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी, 15वां तल, सिविक सेंटर मिंटो रोड, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो संबंधित अधिकारी, 419 उद्योग सदन, पटपड़गंज इस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-91 के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें।

(ङ) नई दिल्ली नगर पालिका से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप शिक्षा अधिकारी (सामान्य), शिक्षा विभाग, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(च) सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा निदेशालय से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव संबंधित जिले में जमा करें। जिले के उप निदेशक (योजना) ओल्ड पत्राचार बिल्डिंग, तिमारपुर, नई दिल्ली के पास निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(छ) दिल्ली कौंटोनमेंट बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली कौंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कौंटोनमेंट, दिल्ली - 110010 के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(ज) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जेएनयू परिसर, नई दिल्ली के कार्यालय में निर्दिष्ट प्रपत्र में और इसकी सॉफ्ट प्रति के रूप में समेकित प्रस्ताव जमा करें, जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(झ) मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल, नेशनल ओपन स्कूल और सरकार द्वारा अनुमोदित किन्तु उपरोक्त किसी श्रेणी में न आने वाले अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले पात्र छात्र अपने प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख / प्रधानाचार्य के पास जमा करें, जो उप निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, दूसरा तल, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पास संगत दस्तावेजों सहित सभी पूर्ण आवेदनों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्र में समेकित प्रस्ताव और इसकी सॉफ्ट प्रति अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा करें।

टिप्पणी : उपरोक्त (ख) से (घ) तक उल्लिखित स्कूलों के प्रमुख छात्रों के आवेदन और अन्य समर्थक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, पिछली कक्षा की एक सूची, स्वयं घोषणा, शपथ पत्र आदि अपने रिकॉर्ड के लिए रखें, जिन्हें इस विभाग द्वारा किसी समय जांचा जा सकता है।

### 4. अन्य शर्तें

वैयक्तिक आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। विद्यालय के प्रमुख को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई पात्र अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्र छूट नहीं जाना चाहिए और छात्रों की समेकित सूची निर्दिष्ट प्रपत्र में उपरोक्त बताए गए संबंधित कार्यालय में भेजी जानी चाहिए। संबंधित विभाग/ संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रस्ताव (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रति दिए गए फॉर्मेट के अनुसार अलग से भेजी जाए जिसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) उप निदेशक (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक), दूसरा तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 के पास समापन तिथि को या इससे पहले अग्रेषित करना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन / प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अग्रेषण पत्र पर योजना का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप, समेकित विवरण (संबंधित विद्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए) पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा तथा विद्यालय / छात्र के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा प्रारूप विभाग की वेबसाइट [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

विस्तृत विवरण और आवेदन पत्र के लिए कृपया वेबसाइट [www.scstwelfare.delhigovt.nic.in](http://www.scstwelfare.delhigovt.nic.in) पर लॉग ऑन करें।

\*आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी / विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज / जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित किया जाएगा।